कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), ब्यावर

क्रमांक/आपदा प्रबंधन/2025/ **दिनांकः–**

प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.8(44) आ0प्र0सहा0/बाढ/प्रस्ताव/2025/राजकाज 18319241 दिनांक 14.10.2025 के अनुसरण में मानसून वर्ष 2025 में **अतिवृष्टि/बाढ से पेयजल आपूर्ति तन्त्र/सिंचाई तन्त्र की क्षति की तात्कालिन अस्थाई मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु** राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) से निम्नानुसार प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	जल संसाधन उपखण्ड का नाम	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार			लोकेशन	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्यकारी संस्था जिन्हे कार्य किया जाना है
		क्र.सं.	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त सम्पति का नाम			
1	जैतारण (खण्ड पाली)	1	गिरीनंदा बांध की बांयी मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे का रिपेयर कार्य	गिरीनंदा बांध की बांयी मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे	गिरीनंदा बांध की बांयी मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे	2.0	**अधिशाषी अभिंयता जल संसाधन विभाग खण्ड पाली**
		2	गिरीनंदा बांध की दायी मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे का रिपेयर कार्य	गिरीनंदा बांध की दायी मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे CH 136-CH 150	गिरीनंदा बांध की दायी मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे CH 136-CH 150	2.0	
		3	गिरीनंदा बांध खेडा माईनर की लाईनिंग एवं पटडे का रिपेयर कार्य	गिरीनंदा बांध खेडा माईनर की लाईनिंग एवं पटडे CH 18–CH 40	गिरीनंदा बांध खेडा माईनर की लाईनिंग एवं पटडे CH 18–CH 40	2.0	
		4	बाबरा बांध की बांयी मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे का रिपेयर कार्य	बाबरा बांध की बांयी मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे CH 00-CH 15	बाबरा बांध की बांयी मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे CH 00-CH 15	1.8	
		5	बाबरा बांध की दांयी मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे का रिपेयर कार्य	बाबरा बांध की दांयी मुख्य नहर की लाईनिंग CH 11-CH25	बाबरा बांध की दांयी मुख्य नहर की लाईनिंग CH 11-CH25	2.0	
		6	बाबरा बांध की बाबा रामदेव माईनर की लाईनिंग एवं पटडे का रिपेयर कार्य	बाबरा बांध की बाबा रामदेव माईनर की लाईनिंग एवं पटडे CH 00-CH 09	बाबरा बांध ... बाबा रामदेव माईनर ...	2.0	

Signature valid
Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.17 12:57:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18416333

	जैतारण (खण्ड पाली)	7	बाबरा बांध की बाबा रामदेव माईनर की लाईनिंग एवं पटडे का रिपेयर कार्य	बाबरा बांध की बाबा रामदेव माईनर की लाईनिंग एवं पटडे CH 00-CH 09	बाबरा बांध की बाबा रामदेव माईनर की लाईनिंग एवं पटडे CH 00-CH 09	2.0	अधिशाषी अभिंयता जल संसाधन विभाग खण्ड पाली
		8	झिलमिल बांध की मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे का रिपेयर कार्य	झिलमिल बांध की मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे CH 00-CH 015	झिलमिल बांध की मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे CH 00-CH 015	2.0	
		9	सालनाडी बांध की मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे का रिपेयर कार्य	सालनाडी बांध की मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे CH 10-CH 30	सालनाडी बांध की मुख्य नहर की लाईनिंग एवं पटडे CH 10-CH 30	2.0	
						17.80	

<u>राशि शब्देन–सत्रह लाख अस्सी हजार रूपये मात्र</u>

<u>उपरोक्त कार्यों के कियान्वयन में निम्न शर्तो का पालन किया जावेगा :–</u>

1. कार्य तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति के बाद शुरू किया जावेगा ।
2. मरम्मत कार्य आपदा प्रबधंन,सहायता एंव नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी मापदण्डों एंव गाइड–लाईन के अनुसार कराया जावेगा।
3. उक्त कार्यो की तकनीकी स्वीकृति तत्काल **<u>3 दिवस में</u>** भिजवाया जाना आवश्यक है। जिससे वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके ।
4. कार्य एस.डी.आर.एफ नॉर्म्स के अनुसार किया जायेगा। अतः कार्यकारी संस्था स्वीकृत राशि से अधिक उपयोग न करें।
5. Defect Liability Period के तहत जो कार्य आतें है , उनकी मरम्मत एस.डी.आर.एफ से देय नही है।

6–उक्त स्वीकृत कार्य एक माह की अवधि में कराये जाकर पूर्णता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवायेंगे। विलम्ब के लिये सम्बधित विभाग एंव कार्यकारी ऐजेंसी जिम्मेदार होगी।

7– कार्यकारी ऐजेंसी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

8–आवंटित बजट का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करावें तथा शेष राशि विभाग को तत्काल समर्पित की जावे।

09–कार्यों की प्रशासनिक , तकनीकि एंव वित्तीय स्वीकृत्तियां उपरान्त ही राशि का नियमानुसार व्यय किया जावें।

10–केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एंव पुर्नरूत्थान के कार्य [illegible] एस0डी0आर0एफ0 नोर्म्स में दिये गये प्रावधान अनुसार हों।

Signature valid
Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.17 12:57:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18416333

11—स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम —2012 एंव नियम 2013 तथा योजना के दिशा—निर्देशों , तत्सम्बधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

12—बैंक खाते में हस्तातंरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का आहरण नही किया जावेगा ।

13—उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों`क लिये ही किया जावे।

14—विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु किया जावे।

15—निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निदिर्ष्ट प्रयोजन के लिये ही किया जावे। बैंक खाते में हस्तातंरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नही किया जावे।

16—निजी निक्षेप खाते में हस्तातंरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे । अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावे।

17—व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एंव राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखें जावे।

सलग्नः— आपदा प्रबधंन,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.8 (44) आ.प्र. एंव सहा./बाढ/प्रस्ताव/2025/राजकाज/18319241 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा जारी समस्त निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

(कमल राम मीना)
जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबधंन प्राधिकरण
जिला—ब्यावर

क्रमांक/आपदा प्रबंधन/2025/ **दिनांकः—**

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् अति0 मुख्य सचिव महोदय, आपदा प्रबधंन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर ।
2. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर।
3. अति0जिला कलक्टर एंव प्रभारी अधिकारी सहायता ब्यावर।

Signature valid
Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.17 12:57:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18416333

4. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिला परिषद ब्यावर।

5. उपखण्ड अधिकारी जैतारण/रायपुर।

6. अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन विभाग, वृत–पाली को भेजकर लेख है कि आप जिले में बाढ से क्षतिग्रस्त बांध एवं नहरों के कार्यों की आपदा प्रबंध,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ.8 (44) आ.प्र. एंव सहा./बाढ/प्रस्ताव/2025/राजकाज/ 18319241 दिनांक 14.10.2025 स्वीकृति क्रमांक 169/2025–26 में अकिंत निर्देशानुसार कार्यकारी ऐजेंसी से समन्वय किया जाकर नियमानुसार मरम्मत की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें।

7. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड पाली को पालनार्थ।

8. सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड जैतारण को पालनार्थ।

9. तहसीलदार रायपुर/जैतारण।

10. प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कले0 ब्यावर/कोषाधिकारी ब्यावर।

11. विकास अधिकारी प.स./रायपुर/जैतारण।

12. सूचना एवं जनसर्म्पक अधिकारी ब्यावर।

13. आदेश रक्षित

(कमल राम मीना)
जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबधंन प्राधिकरण
जिला–ब्यावर

Signature valid

Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.17 12:57:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18416333

Signature valid

Digitally signed by Kamal Ram Meena
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.17 12:57:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18416333